

FORM NO. |||फर्दअहकाम
नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....

.....सियाराम.....बनाम.....सरकार......किस्म मु०.....मिसल न०.....68/2025.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जोहुक्म की तामील मे जारी हुए
8/9/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ जिसमे प्रार्थी सीताराम पुत्र देविया ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र देविया नि० इटावा नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 420 में काशतगार का नाम सीताराम पुत्र देविया दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबन्धित पटवारी भूण् अभिण् निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का सीताराम पुत्र देविया नाम के स्थान पर सियाराम पुत्र देवीलाल नाम दर्ज किया जावे। आज दिनाक .. 10/9/25..... को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> 	